

FROM No. -III
फर्द अहकाम
(नियम-26)अज अदालत सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा
केम्प कोर्ट बराटियोंप्रहलादराय पिता चर्तुभुज ब्राह्मण बनाम सॉवरलाल पिता श्रीराम गुर्जर
निवासी- अमरतियों निवासी- अमरतियों

किस्म मुकदमा-वाद पत्र अन्तर्गत धारा- 53, 'रा.टी. ए.

प्रकरण संख्या-45/2015

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुक्म
की तारीख में जारी हुए

27.06.2018

पत्रावली आज लोक अदालत केम्प कोर्ट बराटियों में पेश हुई वकील वादी उपस्थित प्रतिवादीगण अनुपस्थित । न्यायालय हाजा के प्राथमिक डिक्री दिनांक 20.05.2017 की पालना हेतु तहसीलदार हुरड़ा को लिखा जाने पर तहसीलदार हुरड़ा के द्वारा विभाजन किया जाकर विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्र क्रमांक राजस्व/2018/957 दिनांक 30.04.2018 से प्रस्तुत किया गया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

1- सॉवरलाल काना उर्फ कन्हैयालाल, नारायण, महावीर, कालुराम, बाबूलाल पिता श्रीराम, मानी देवी पत्नि श्रीराम, समा, अन्ना, पुत्रिया श्रीराम, लादू, श्रवण, मगना पिता खमाण, सजनी पुत्री खमाण, सूरजकरण, नारायण, प्रहलाद, रामनिवास पिता सुखदेव, प्रेम, पारस रसाल पुत्रीयाँ सुखदेव प्रेम उर्फ कंकू पत्नि सुखदेव, रामलाल माधवलाल, बन्नलाल पिता छोगा, कमला, हंजा, लूंगी, मगनी पुत्रीयाँ छोगा, घीसी पत्नि छोगा गुर्जर सा देह खातेदार :-

मौजा	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
अमरतिया	271/2	00 बीघा 19 बिस्वा	0.26
कुल किता 1		00 बीघा 19 बिस्वा	0.26

2- देवीलाल, छोटूलाल पिता रामकिशन, रुकमा पुत्री रामकिशन, प्रहलाद पिता चर्तुभुज ब्राह्मण साकिन देह खातेदार :-

मौजा	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
अमरतियाँ	271/1	00 बीघा 19 बिस्वा	0.29
कुल किता 1		00 बीघा 19 बिस्वा	0.29

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

उक्त प्राप्तशुदा विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी को सुना गया वक्त बहस वकील वादी ने कथन किया कि तहसीलदार हुरड़ा के द्वारा जो प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया है वह मुताबिक निर्णय अनुसार तैयार किया गया है । जो स्वीकार फरमाया जावें ।

मैंने भी प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया । तदनुसार तहसीलदार हुरड़ा से उक्त प्राप्तशुदा विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है । तथा इसी अनुरूप प्रकरण में अंतिम डिक्री पर्चा तैयार किये जाने के आदेश दिये जाते हैं । पत्रावली सुमार फेसल होकर दाखिल दफतर करें । आदेश आज दिनांक 27.06.2018 को खुली लोक अदालत केम्प कोर्ट बराटियों में सुनाया गया ।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official